R.M.M Law-college
Saharan
Amendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher
Sub- Evidence Part IIIrd

नुकसानी के लिये वादी ने रकम अवधारित
करने के लिये न्यायालय की शक्ति रखने
की प्रवृत्ति दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत तथ्य
माना जाता है।
जब कि वादी नुकसानी का
दावा किया गया तथ्य सुसंगत तथ्य
होता है क्योंकि ऐसे मामले जिनके नुकसानी
(damages) का दावा किया जाता है न केवल यह
होता है कि वादी नुकसानी का
यह कि वादकालीन
हकदार है या नहीं अपितु नुकसानी की रकम
क्या थी निश्चित करना आवश्यक हो जाता है,
अतः न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को
भी प्रस्तुत करना जरूरी होता है जिनके आधार
पर उचित रकम का आकलन सम्भव एवं
सुलभ हो सके। यह धारा उन तथ्यों
को सुसंगत घोषित करती है। उदाहरणार्थ यदि
कोई व्यक्ति एक हजार रुपया की नुकसानी
का दावेदार है तो उस निष्कर्ष पर पहुँचने
के पश्चात कि वह नुकसानी पाने का
हकदार है न्यायालय उन तथ्यों की जाँच
करेगा जिनके आधार पर नुकसानी की
सही रकम अवधारित हो सके।
अतएव वे सारे तथ्य सुसंगत माने जाते हैं।

Scanned with CamScanner

नुकसानी का दावा किन तथ्यों के आधार पर
(2) किया जा सकता है ऐसे मामले में वादी अपने
पक्ष में क्या अभिवचन प्रस्तुत कर सकता है
और वादी कितनी रकम नुकसानी के रूप में
पाने का हकदार है। यह विषय की उस शाखा
से ज्ञातव्य है जिसके अन्तर्गत वाद प्रस्तुत
किया जाता है। यदि दावा संविदा भंग पर
आधारित है तो संविदा अधिनियम के अनुबन्धों
के और दावा किसी अपकृत्य के कारण किया
गया है तो संविदा अधिनियम के
के अनुबन्धों में अपकृत्य (Tort) सम्बन्धी
के अनुसार इन प्रश्नों का निर्णय करना होता है।
नुकसानी के दावे में ऐसे तथ्य भी सुसंगत हैं
जिनकी मदद से नुकसानी की रकम को आधारित
करना सम्भव हो सके। कौन से तथ्य किसी
मामले में सुसंगत होंगे। इसका निर्णय विषय
की किस शाखा के अनुसार दावा किया गया
है। उसी पर आधारित है।
सभी बातें सुसंगत तर्क वितर्क पर
आधारित होना आवश्यक तो न्यायालय
नुकसानी का मूल्य आधार तय करेगा।

अधिवक्ता कल्याण योजना सहरसा

अधिवक्ता
पंजी० सं०-

TI PRESS
ARSA

Scanned with CamScanner